राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर

कमांक :- 70 दिनांक 20/06/24

-: निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर, की ओर से आगामी एक वर्ष के लिये, बॉडी कार्य अपोस्टर, पेटिग सहित कराने बाबत निविदा प्रपत्र पर मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करता है।

निविदा का निर्धारित प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 21.06.2024 से 01.07.2024 14.00 बजे तक इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित समय(प्रातः 8.00 से 16.30 तक) निर्धारित शुल्क राशि 590/- (जी.एस.टी. सहित)रूपये प्रति निविदा फार्म नकद जमा करवा कर प्राप्त की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in /rsrtc से ऑनलाईन डाउनलोड की जा सकती है, जिसका निर्धारित शुल्क नकद अथवा डीडी/ बैंकर चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि 10,000/- निविदा प्रपत्र के अनुसार इस कार्यालय में नकद जमा करवा कर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो कि मुख्य उत्पादन प्रबन्धक ,केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। भरे हुए मोहरबन्द निविदा फार्म एवं शर्ते निविदादाता के हस्ताक्षर सहित दिनांक 01.07.2024 को 14.30 बजे तक ही इस कार्यालय में जमा किये जायेगें एवं प्राप्त निविदा प्रपत्र उसी दिन सांय 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगें।

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर

—: निविदा प्रपत्र :—

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर

कमांक :—

दिनांकः

मुख्य उत्पादन प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर।

विषयः— राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि जोधपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में वाहनों का जॉब बैसिस वर्क पर **बॉडी मरम्मत का कार्य** करने बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जोधपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में वाहनों का जॉब बैसिस वर्क पर बॉडी मरम्मत का कार्य करवाने के संबंध में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रस्तुत हैः—

बोली प्रपत्र की फीस राशि जी.एस.टी. सहित 590/— (नॉन—रिफण्डेबल) रसीद संख्या .... दिनांक ....

नोटः—निविदा प्रपत्र दिनांक 01.07.2024 को 14:30 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन 15:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। कार्य का प्रारम्भ कार्यादेश में उल्लेखित दिनांक से करना होगा।

सामान्य विवरण

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का स्थाई पता	
3	फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई—मेल	
4	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म का द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर) में जमा करायी राशि 590/ रुपये की रसीद/डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनाक अमानत राशि 10000/— (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर)	
9	प्रस्तावित दर (प्रति व्यक्ति प्रति घण्टा) रुपये—	प्रस्तावित दर GST सहित शब्दो में

1- कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:–

क. स.	कार्य का नाम	कुल वार्षिक जॉब संख्या (जोधपुर स्थित कार्यशाला में)	जॉब कि प्रतिवर्ष कुल अनुमानित संख्या	निविदा कि अनुमानित लागत (रूपये में)
		केन्द्रीय कार्यशाला का नाम		
		जोधपुर		
	बॉडी कार्य			
1	बॉडी कार्य अपोस्टर, पेटिग सहित (वाहन का सम्पूर्ण बॉडी कार्य व सीटों का अपोस्टर, पेंटीग कार्य कर तैयार करकें देना)	8 वाहन 450 घण्टे	3600 मेन आवर्स	5,00,000
				5,00,000

-: नियम एवं शर्ते :-

बॉडी सम्बंधित कार्य जॉब बैसिस वर्क पर तैयार करने हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :-

1. निविदादाता को वाहनों की बॉडी की सम्पूर्ण मरम्मत जिसमे दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तैयार करना व रुटीन बॉडी वर्क करके देना होगा इसके साथ-साथ उक्त वाहनो का सम्पूर्ण अपोस्टर व पेटींग व टचिंग कार्य भी करके देना होगा।

2 निविदादाता को जॉब बैसिस के सम्पूर्ण कार्य संबंधित केन्द्रीय कार्यशाला परिसर मे केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि कि देख रेख मे निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सम्पादित करना होगा। परन्तु कुछ कार्य सम्बंधित उत्पादन प्रबधक कि स्वीकृति उपरान्त केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर संपादित किये जा सकेगें।

3. निविदादाता को वाहनों का बॉडी मरम्मत कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जायेगा।

4. निविदादाता को निगम द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारो को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होगें। कार्य से जुडे विभिन्न प्रकार का सामान यथा जी. आई पाईप , आयरन भीट , चैनल इत्यादि निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगे ।कार्य मे लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिती द्वारा किया जायेगा।

5 निविदादाता को गैस व इलेक्ट्रीक बेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रीक रॉड व गैस निगम द्वारा उपलब्ध करा दिये जावेगें। इसके अतिरिक्त अनुबंधकर्ता को जॉब बैसिस के विभिन्न कार्य से जुडे समस्त आवश्यक उपकरण व ओजार,टेस्ट बैंच इत्यादि रखने होगे।साथ ही आवश्यकतानुसार सभी विशेष उपकरण मशीने इत्यादि जो आवश्यक है स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी, साथ ही समस्त मशीन कार्य भी स्वयं के स्तर पर केन्द्रीय कार्यशालाओं में अथवा उत्पादन प्रबधंक के निर्देशानुसार स्थानीय बाजार से करवाने होंगे।

6 अनुबन्धकर्ता को कार्य हेतु दी गई वाहन के कार्य में लगने वाले अधिकतम समय का निर्धारण कार्यशाला समिति द्वारा (जिसमे अनुबन्धकर्ता का प्रतिनिधि भी शामिल होगा) कार्य प्रारभ करने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जावेगा। जिससे निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही अवगत करा दिया जावेगा व अनुबन्धकर्ता को उक्त स्वीकृत समय मे ही कार्य पूर्ण करके देना होगा। कार्य के दौरान मशीनरी/पार्टस को लोड/अनलोड करने का कार्य द्वितीय पक्षकार को स्वयं के स्तर पर ही करना होगा।

7 अनुबन्धकर्ता को कार्य समाप्ति पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर ,कचरा ,उपकरण इत्यादी को हटाकर निर्धारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को सही स्थिती में रखना होगा।

8. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट फुट की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में अनुबंधकर्ता के आदमी को हुई हानि/चोट के लिये अनुबंधकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।:निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी नही होगा।

9 अनुबंधकर्ता द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं कराये जाते है एव इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से किये गये कार्य

9 अनुबंध कर्ता द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं कराये जाते है एव इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से किये गये कार्य की लागत का, निर्धारित (आवंटिसं) अवधि के 50 प्रतिशत तक की देरी के लिए 5 प्रतिशत, निर्धारित अवधि के 51 से 100 प्रतिशत तक की देरी के लिए 10 प्रतिशत, इसके पश्चात आवंटित समय के हर 100 प्रतिशत या उसके किसी भी भाग की देरी के लिए 10 प्रतिशत की दर से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं इस संबंध में किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

10. निविदादाता एवं कामगारों को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदंडो व नियमो का पालन करते हुऐ पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा से संबंधित कार्य किसी को सब्लेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. निविदादाता के अपने पेन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन न., भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्ट्रेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे । यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्वन्धित अनुबंधकर्ता के दायित्व में नहीं हो तो इसके लिए अनुबंधकर्ताएक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

12. अनुबंध को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

13 निविदादाता अनुवधकर्ता द्वारा अनुबंध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

14. सफल निविदा कर्ता को सहमति–पत्र जारी होने के 15 दिवस मे निर्धारित प्रफॉर्मा में कार्य अनुबंध करना होगा।

15 फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल तकनीकी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होंगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल कर्मचारी द्वारा किस्री भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस संवंध मे नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त संबंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुवधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पडती है तो उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जावेगी।

16 अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने तथा आवंटित मेन्टीनेंस कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

17. निविदादाता अपने अधीन कार्यरत कामगारों को देय भुगतान में से नियमानुसार भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर संबंधित विभाग में जमा करायेंगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। यदि द्वितीय पक्षकार अपने स्तर से जमा कराने की कार्यवाही नहीं करता है तो अनुबंधकर्ता अपने कर्मचारियों को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधि एव राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधि एवं राज्य

कर्मचारी बीमा की राशि अनुवंधकर्ता के भुगतान से काट कर संवन्धित विभाग में जमा करायेगा।

18. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। निविदादाता कार्य आवंटन की मात्रा के लिए रापनि को वाध्य नहीं कर पायेंगें, एवं उसके कामगारों को निगम में स्थाईसेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नहीं होगा। सफल निविदादाता/द्वितीय पक्षकार को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा एव निर्धारित आयु से कम आयु का कोई कर्मचारी नहीं रखना होगा।उक्त नियमो की अवहेलना की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व अनुवंधकर्ता का होगा।

19. निविदादाता को अपने अधीन कार्यरत कामगारों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसमें कोई शिथिलता होने पर द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा।

20 निविदादाता को देय भुगतान में से नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जायेगी।

21. द्वितीय पक्षकार को नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के 60 कार्य दिवस के उपरान्त लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई व्याज देय नही होगा।

22. निविदा अनुवन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुवन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

23 भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होंगे। जिनके प्रमाणीकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

24. किसी विशेष परिस्थिति के कारण कार्य निलंवित रहने के कारण अनुवन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

25. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढाया जा सकेगा।

26 टेंडर के सम्बंध मे किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर निम्न प्रावधान लागु होगा।

(i) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to.the construction,meaning scope,operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be reso;ved by-referring such dispute or difference to the standing committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Coropration's office Order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017.The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(ii) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contract/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर